संख्या:741/2023/2085/35-4-2023/001-35-4099/84/2023

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 28 जुलाई,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य की लागत संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद सीतापुर में नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश सं0-348/2023/947/35-4-2023, दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 6 कार्यों में से क्रमांक 05 पर अंकित कार्य यथा- **मालसराय राज बहादुर के मकान से हरिश्चन्द्र त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य की** अनुमोदित लागत रू0 30.19 लाख को रू0 38.19 लाख पढ़ा जाय। उक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2023 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- कार्य की संशोधित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:741/2023/2085(1)/35-4-2023/001-35-4099/84/2023 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सीतापुर।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सीतापुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in